FORM NO. III
फर्दअहकाम
(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
सताराम पुत्र रिड़मलराम जाति जाट निवासी धोलानाडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. प्रभु पुत्र रिड़मल (फौत) के कायम मुकाम वगैरा (11) जाति जाट निवासी धोलानाडा तहसील गुड़ामालानी 12. प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा गुड़ामालानी 13. प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा सड़ा 14. राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक गुड़ामालानी 15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

किस्म मुकदमा......धारा 212 RTA मु0नं0....51/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मँजारी हुए
01.04.2019	प्रार्थी सताराम की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री जगदीश विश्नोई द्वारा विप्रार्थीगण प्रभु पुत्र रिड़मल (फौत) के कायम मुकाम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 RTA का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम धोलानाडा के खेत खसरा नम्बर कमशः 32, 372/16, 374/16 रकबा कमशः 32–04, 93–13, 1–00 बीघा व ग्राम धोलानाडा के नया खाता नम्बर 118 खेत खसरा नम्बर कमशः 17, 18, 21 रकबा कमशः 0–14, 07–11, 33–08 बीघा एवं ग्राम जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर कमशः 237, 357/238 रकबा कमशः 0–13, 93–02 बीघा के आए हुए है। जिसमें प्रार्थी का 1/20 हिस्सा निहित है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर मौखिक बंटवाडा अनुसार काबिज काश्त हैं। विप्रार्थीगण बिना विभाजन करवाए प्रार्थीगण द्वारा अपने हक हिस्से की उपजाऊ बनाई गई भूमि अजनवी व्यक्तियों को बेचान कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि की घोषणा अलग करवाकर अपनी भूमि विप्रार्थीगण से अलग करवाकर घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है। जिसके निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई से एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि विप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जा काश्त व रहवासी ढाणी एवं उपजाऊ बनाई गई भूमि के बेचान कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा नहीं होने से सीमाओं व हकों को लेकर विवाद की स्थिति से इन्कार नही किया जा सकता। चूंकि विप्रार्थीगण प्रार्थी के द्वारा उपजाऊ बनाई गई भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि को बिना बंटवाडा करवाये बेचान करने पर आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन एवं साम्या का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम धोलानाडा के खेत खसरा नम्बर कमशः 32, 372/16, 374/16 रकबा कमशः 32–04, 93–13, 1–00 बीघा व ग्राम धोलानाडा के नया खाता नम्बर 118 खेत खसरा नम्बर कमशः 17, 18, 21 रकबा कमशः 0–14, 07–11, 33–08 बीघा एवं ग्राम जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर कमशः 237, 357/238 रकबा कमशः 0–13, 93–02 बीघा भूमि में [illegible] मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। विप्रार्थीगण क[illegible] होकर पत्रावली दिनांक ...10/5/19............... को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Keshav Kumar Meena Date: 2024.10.09 16:30:41 IST Reason: SelfAttested ([illegible] विश्नोई) आर.ए.एस. सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षो के वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस हेतु मोहलत चाहते हैं। मोहलत दिया जाता है। पत्रावली दि० 27/03/24 को पेश हो।	
सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	
27/3/24 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षो के वकील उपस्थित। दोनों पक्षो के वकीलो से पत्रावली पर बहस सुनी। दोनों पक्षो की बहस सुनकर कानून पर विचार कर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 1/4/2019 मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट (Confirm) की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:30:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner